प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक मई 30, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 228 वाहनों का चालान किया गया तथा 10 वाहनों से 9000/- रू0 का समन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त इन्द्र प्रसाद पुत्र मेवा नि0 बड़हरा थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 45 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता गेना देवी पत्नी रामदास नि0 पुरन्दरपुर थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता लक्ष्मी पत्नी पप्पू नि0 गोपी टोला कोहरिया थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त अयोध्या पुत्र तपेश्वरी नि0 धरमपुर थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संतकुमार पुत्र कुल्ली नि0 परागपुर थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बबुन्दर साहनी पुत्र राजेन्द्र नि0 वार्ड नं0 3 शास्त्रीनगर थाना सोनौली जनपद महराजगंज के कब्जे से 16 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सत्येन्द्र पुत्र राजेश सिहं नि0 मल्लाहटोला आदर्श चौराहा रुद्रपुर देविरया के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 205/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में व अभियुक्त अरविन्द निषाद पुत्र रामकृपाल नि0 गडही थाना गगहा जनपद गोरखपुर के कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त आलम पुत्र करीमुल्लाह अंसारी नि0 बरगहां थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर थाना कोठीभार पर मु0अ0सं0 107/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

जनपद में 29/30.05.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 36 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।